अनुदान संख्या 96 – जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 96 - MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*4935,92,00*	*4955,93,00*	*4946,11,35*	*-9,81,65*
पूरक	*Supplementary*	*20,01,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*9,81,64*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	999,08,00	1000,81,00	983,46,37	-17,34,63
पूरक	Supplementary	1,73,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				17,34,61
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		65,00,00	65,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹981.65 लाख*) जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए *₹2001.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 49 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का लगभग 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 981.65 lakhs*) constituted 49 percent of the supplementary *appropriation* of *₹ 2001.00 lakhs*) obtained in July, 2018 and February, 2019 and nearly 1 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings/excess occurred under the following major head:-

				कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments					
मू.	*O.*	*493490.00*				
पू.	*S.*	*2001.00*		*494611.36*	*494611.35*	*-0.01*
पु.	*R.*	*-879.64*				

(I) *₹ 102.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹ 102.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

(II) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under "Centrally Sponsored Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(का) "जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता – अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः विशेष केन्द्रीय सहायता" – *₹750.30 लाख* की बचत (*₹0.30 लाख* के सांकेतिक पूरक *विनियोग* सहित *₹124500.30 लाख* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan-Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance"- saving of *₹ 750.30 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹ 124500.30 lakhs* including token supplementary *appropriation* of *₹ 0.30 lakh*) was due to non-receipt of complete/adequate proposals from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप – योजना" – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वन बन्धु कल्याण योजना" – *₹2463.10 लाख* की बचत (*₹0.40 लाख* के सांकेतिक पूरक *विनियोग* सहित *₹ 32151.40 लाख* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम संख्या में प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area Sub - Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana" - saving of *₹ 2463.10 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹ 32151.40 lakhs* including token supplementary *appropriation* of *₹ 0.40 lakh*) was due to receipt of less number of proposals from the implementing agencies.

2. उपर्युक्त बचतें "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजातीय शिक्षा" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – *₹2150.00 लाख* का अधिक व्यय (*₹172023.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) छात्रवृत्ति संबंधी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan-Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education" - excess of *₹ 2150.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 172023.00 lakhs*) was due to requirement of additional funds towards scholarships.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹1734.63 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹173.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1734.63 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹173.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	37132.00			
पू.	S.	170.00	35989.95	35989.92	-0.03
पु.	R.	-1312.05			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	60000.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-60001.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
पू.	S.	1.00	59636.11	59636.11	..
पु.	R.	59635.11			

(I) ₹60002.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹60001.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹60002.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹60001.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता – अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: विशेष केन्द्रीय सहायता" – ₹10001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(A) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance" - ₹10001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप– योजना" –

(क) "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" – ₹25000.00 लाख;

(ख) "जनजातीय संस्थाएं" – ₹1400.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम: वन बंधु कल्याण योजना" – ₹2600.00 लाख; और

(घ) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम: जनजातीय शिक्षा" – ₹21000.00 लाख।

(B) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution"- ₹25000.00 lakhs;

(b) "Tribal Institutions" – ₹1400.00 lakhs;

(c) "Umbrella Scheme for Development of STs: Van Bandhu Kalyan Yojana" - ₹2600.00 lakhs; and

(d) "Umbrella Scheme for Development of STs: Tribal Education" - ₹21000.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा तथा शेष राशि अभ्यर्पित की गई।

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – निदेशन एवं प्रशासन – अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग" – ₹1506.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹168.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर कर ₹1674.00 लाख का दिया गया। तथापि, ₹415.51 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति, प्रकाशन एवं पेशेवर सेवाओं संबंधी कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes - Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes" - the original provision of ₹1506.00 lakhs was augmented to ₹1674.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹168.00 lakhs. However, there was a saving of ₹415.51 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and receipt of less claims towards medical reimbursement, publications and professional services.

(III) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वन बन्धु कल्याण योजना" – ₹1528.41 लाख की बचत (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7253.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम संख्या में प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes – Tribal Area Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes - Van Bandhu Kalyan Yojana" - saving of ₹1528.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7253.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹478.78 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 83 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹478.78 lakhs occurred constituting 83 percent of the sanctioned provision.

4. (I)उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11149.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4. (I) The above savings were partly (₹11149.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - under the following heads:-

(का) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता – अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः विशेष केन्द्रीय सहायता" – ₹10750.00 लाख ।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः – अनुसूचित संस्थानों को समर्थन" – ₹399.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – जनजाति क्षेत्र उप योजना – जनजातीय संस्थानों को समर्थन" – ₹1150.00 लाख का अधिक व्यय (₹16500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढाए गए वेतन और जनजातीय उत्पादों के विपणन/विकास के लिए समान्य कार्यकलापों संबंधी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" –

(क) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजातीय शिक्षा" – ₹21636.50 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ii) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वन बंधु कल्याण योजना" – ₹1850.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों का

(A) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan-Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance" - ₹10750.00 lakhs.

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions" - ₹399.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes - Tribal Area Sub-Plan-Support to Tribal Institutions" - excess of ₹1150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased salaries and general activities for marketing/ development of tribal products and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" -

(a) "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education" - excess of ₹21636.50 lakhs (against nil provision);

(ii) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana - excess of ₹1850.00 lakhs (against nil provision); and

(b) "Other Transfer/Grants to States-Tribal Area Sub-Plan-Welfare of Scheduled

कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" – ₹24999.61 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution" - excess of ₹24999.61 lakhs (against nil provision).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.